Witness No **08** for **अभियोजन साक्षी** Deposition taken

the **08.10.2018** day of Witness's apparent age **30 वर्ष**

States on affirmation **शपथ पूर्वक** my name is **ए कान्ता राव**

son of **ए रघुनाथ राव** occupation **प्रायवेट नौकरी**

address **आदर्श नगर, पुजारी पेट्रोल पम्प के पास, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)**

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री जे.एम.राजिमवाले अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मै न्यायालय उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता हूं।

02. पिछले वर्ष ठंड के मौसम में मै एक दिन पुलिस थाना टिकरापारा के पास से गुजर रहा था तब टिकरापारा पुलिसवाले मुझे बुलाये थे। उस समय पुलिसवाले मुझसे 5–6 कोरे दस्तावेजों में मेरा हस्ताक्षर लिये थे। किन्तु मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये थे। पुलिसवालों द्वारा मुझे कोई नोटिस नहीं दी गई थी, किन्तु नोटिस की कार्बनप्रति प्रपी–9 पर अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। पुलिसवाले द्वारा मेरे समक्ष आरोपी से कभी कोई पुछताछ नहीं की गई थी और न ही जप्ती कार्यवाही की गई थी, किन्तु आरोपी का मेमोरण्डम कथन प्रपी–10 एवं जप्ती पत्रक प्रपी–11, 12 के अ से अ भाग पर एवं प्रपी–05 के ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। थाना टिकरापारा पुलिसवालों ने मेरे समक्ष आरोपी को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–13 के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

नोटः– इसी स्तर पर साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किये जाने के कारण अपर लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को प्रतिकूल घोषित कर प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही। विचार बाद अनुमति दी गयी।

02. यह कहना गलत है कि थाना टिकरापारा के पुलिसवाले मुझे प्रकरण की कार्यवाही में गवाह बनने के लिए मुझे प्रपी–9 दिया था, तब मैने प्रपी–9 में पावती स्वरूप अपना हस्ताक्षर किया था। यह कहना गलत है कि उक्त दिनांक को ही पुलिसवालों ने मेरे समक्ष आरोपी से पुछताछ कर उसका मेमोरण्डम कथन मेरे समक्ष लेखबद्ध किया था। यह कहना गलत है कि उक्त मेमोरण्डम के आधार पर ही पुलिसवालों ने आरोपी के द्वारा पेश करने पर एक चाकू की जप्ती कार्यवाही मेरे समक्ष की गई थी। यह कहना गलत है कि उक्त दिनांक को ही पुलिस ने मेरे समक्ष आहत के पहने हुए कपड़े एक शर्ट एवं एक जींस पेन्ट को जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मेरे समक्ष घटना स्थल से खून

आलूदा एवं सादी मिट्टी जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि उक्त दिनांक को पुलिसवालों ने मेरे समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किये थे। यह कहना गलत है कि उक्त समस्त कार्यवाही मेरे उपस्थिति में हुई थी, इसलिए मैने प्रपी–10, प्रपी–11, प्रपी–12, प्रपी–5 एवं प्रपी–13 के दस्तावेजों में अपना हस्ताक्षर किया था।

03. यह कहना गलत है कि मै आज आरोपी को बचाने के लिए सत्य कथन नहीं कर रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती प्रतिभा राठौर पैनल अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

04. कुछ नहीं।

समय – 03:00 से 03:20 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर ....